



कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० (ऊ० सि० नगर)
District Education Office, Primary Education (U.S. Nagar)
E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

सेवा में,

निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

देहरादून।

पत्रांक: 10098

/स्थानान्तरण/स्थापना/2026-27

दिनांक: 27 अगस्त, 2026

विषय: उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17 (1) (ख) के अन्तर्गत (एक) से (पांच) में वर्णित प्राविधानों के आलोक में अनुरोध के आधार किये गये स्थानान्तरण आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13(12)2011 TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 दिनांक 07 जुलाई 2026 के द्वारा विभागीय आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17 (1) (ख) के अन्तर्गत (एक) से (पांच) में वर्णित प्राविधानों के आलोक में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश निर्गत किये गये हैं, जो आपको विभागीय वेबसाइट [www.https://schooleducation.uk.gov.in](https://schooleducation.uk.gov.in) पर अपलोड किये जाने हेतु पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

अतः स्थानान्तरण आदेश विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने की कृपा कीजिएगा।

संलग्नक:- उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17 (1) (ख) के (एक) से (पांच) के अन्तर्गत 04 स्थानान्तरण आदेश की प्रति (पृष्ठ-07)

भवदीय

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०

ऊधम सिंह नगर।



कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० (ऊ० सि० नगर)

District Education Office, Primary Education (U.S. Nagar)

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश संख्या 211

/सेवायें-4 /वार्षिक स्थानान्तरण/2026-27

दिनांक: 27 अगस्त, 2026

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13(12)2011 टी०सी०-1 दिनांक 07.07.2026, शासनादेश संख्या-400683/XXX(2)/2026/ई-26941 दिनांक 01.06.2026 एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून के पत्रांक: 1519-20 दिनांक 10.07.2026 के अनुपालन में तथा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के क्रम में निम्नांकित प्र०अ० (प्राथमिक) को अनुरोध के आधार पर कॉलम-5 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण की धारा-17(1)ख(एक)/धारा-17(1)ख(दो)/धारा-17(1)ख(तीन)/धारा-17(1)ख(चार) एवं धारा-17(1)ख(पाँच) के अन्तर्गत जनपद स्तरीय स्थानान्तरण समिति की सहमति उपरान्त कॉलम 6 में वर्णित धारा के अन्तर्गत, रिक्त पद के प्रति निम्नवत् अध्यापकों को स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	धारा का विवरण जिसके अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया
1	2	3	4	5	6
01	श्री सुशांत कुमार	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० कनौरी, बाजपुर।	रा०प्रा०वि० बरखेड़ा पांडे काशीपुर।	धारा-17(1)ख(एक)
02	श्री खलीक अहमद	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० हंसपुर, सितारगंज।	रा०प्रा०वि० देवरिया, रुद्रपुर।	धारा-17(1)ख(चार)


(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०),
ऊधमसिंह नगर।

पृ०सं० 10058-67 /सेवायें-4 /वार्षिक स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक: उक्तवत्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
4. जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, ऊधम सिंह नगर।
5. मुख्य/सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद, ऊधम सिंह नगर।
6. वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कि अध्यापक के स्थानान्तरण होने से विद्यालय शिक्षक विहीन होने की दशा में प्रतिस्थानी आने के उपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक को कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।
8. प्रधानाध्यापक सम्बन्धित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय, जनपद ऊधम सिंह नगर को कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त कराने विषयक।
9. सम्बन्धित प्र०अ०/स०अ० को इस आशय से प्रेषित कि नवीन स्थानान्तरित विद्यालय में 10 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
10. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०),
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० (ऊ० सि० नगर)

District Education Office, Primary Education (U.S. Nagar)

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश संख्या

212

/सेवायें-4 / वार्षिक स्थानान्तरण/2026-27

दिनांक: 27 अगस्त, 2026

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13(12)2011 टी०सी०-1 दिनांक 07.07.2026, शासनादेश संख्या-400683/XXX(2)/2026/ई-26941 दिनांक 01.06.2026 एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून के पत्रांक: 1519-20 दिनांक 10.07.2026 के अनुपालन में तथा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के क्रम में निम्नांकित प्र०अ० (उच्च प्राथमिक) को अनुरोध के आधार पर कॉलम-5 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण की धारा-17(1)ख(एक)/धारा-17(1)ख(दो)/धारा-17(1)ख(तीन)/धारा-17(1)ख(चार) एवं धारा-17(1)ख(पाँच) के अन्तर्गत जनपद स्तरीय स्थानान्तरण समिति की सहमति उपरान्त कॉलम 6 में वर्णित धारा के अन्तर्गत, रिक्त पद के प्रति निम्नवत् अध्यापकों को स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	धारा, जिस के अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया
1	2	3	4	5	6
01	श्रीमती सन्तोष कुमारी वर्मा	प्र०अ०	रा०उ०प्रा०वि० खमरिया, बाजपुर।	रा०उ०प्रा०वि० मिस्सरवाला द्वितीय, जसपुर।	धारा-17(1)ख(पाँच)
02	श्री गिरवर सिंह	प्र०अ०	रा०उ०प्रा०वि० रजपुरा रानी, काशीपुर	रा०उ०प्रा०वि० टीला, जसपुर।	धारा-17(1)ख(पाँच)
03	कुमारी उमा उपाध्याय	प्र०अ०	रा०उ०प्रा०वि० जहाँगीरपुर, गदरपुर।	रा०क०उ०प्रा०वि०, रुद्रपुर।	धारा-17(1)ख(पाँच)
04	श्री अरुण कुमार गहलौत	प्र०अ०	रा०उ०प्रा०वि० रतनपुरा, बाजपुर।	रा०उ०प्रा०वि० कुमायू कालौनी, काशीपुर।	धारा-17(1)ख(पाँच)


27/08/26

(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०),
ऊधमसिंह नगर।

पृ०सं० 10068-77 /सेवायें-4 / वार्षिक स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक: उक्तवत्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
4. जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, ऊधम सिंह नगर।

5. मुख्य/सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद, ऊधम सिंह नगर।
6. वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कि अध्यापक के स्थानान्तरण होने से विद्यालय शिक्षक विहीन होने की दशा में प्रतिस्थानी आने के उपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक को कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।
8. प्रधानाध्यापक सम्बन्धित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय, जनपद ऊधम सिंह नगर को कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त कराने विषयक।
9. सम्बन्धित प्र०अ०/स०अ० को इस आशय से प्रेषित कि नवीन स्थानान्तरित विद्यालय में 10 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
10. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०),
ऊधमसिंह नगर।



कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० (ऊ० सि० नगर)

District Education Office, Primary Education (U.S. Nagar)

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश संख्या 213

/सेवायें-4 /वार्षिक स्थानान्तरण/2026-27

दिनांक: 27 अगस्त, 2026

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13(12)2011 टी०सी०-1 दिनांक 07.07.2026, शासनादेश संख्या-400683/XXX(2)/2026/ई-26941 दिनांक 01.06.2026 एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून के पत्रांक: 1519-20 दिनांक 10.07.2026 के अनुपालन में तथा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के क्रम में निम्नांकित स०अ० (प्राथमिक) को अनुरोध के आधार पर कॉलम-5 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण की धारा-17(1)ख(एक)/धारा-17(1)ख(दो)/धारा-17(1)ख(तीन)/धारा-17(1)ख(चार) एवं धारा-17(1)ख(पाँच) के अन्तर्गत जनपद स्तरीय स्थानान्तरण समिति की सहमति उपरान्त कॉलम 6 में वर्णित धारा के अन्तर्गत, रिक्त पद के प्रति निम्नवत् अध्यापकों को स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	धारा, जिस के अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया
1	2	3	4	5	6
01	श्री संजय आर्य	स०अ०	रा०प्रा०वि० बलखेड़ा, सितारगंज।	रा०प्रा०वि० छिनकी, रुद्रपुर।	धारा-17(1)ख(एक)
02	श्रीमती सोनम	स०अ०	रा०प्रा०वि० मझरा ठगू, सितारगंज।	रा०प्रा०वि० नवीन देवरिया, रुद्रपुर।	धारा-17(1)ख(एक)
03	श्री सुशील कुमार	स०अ०	रा०प्रा०वि० ऐंचताबिहीं, सितारगंज।	रा०प्रा०वि० सैजना, रुद्रपुर	धारा-17(1)ख(पाँच)
04	श्री मुहम्मद अली	स०अ०	रा०प्रा०वि० आस्ताबिहीं नवीन, सितारगंज।	रा०प्रा०वि० गौरीखेड़ा, सितारगंज	धारा-17(1)ख(पाँच)
05	श्री भूपाल सिंह	स०अ०	रा०प्रा०वि० रमकोला, खटीमा।	रा०प्रा०वि०, सिरौली कला, रुद्रपुर	धारा-17(1)ख(पाँच)

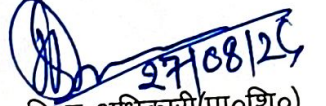
(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०),
ऊधमसिंह नगर

पृ०सं० 10078-87 /सेवायें-4 /वार्षिक स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक: उक्तवत्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।

4. जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, ऊधम सिंह नगर।
5. मुख्य/सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद, ऊधम सिंह नगर।
6. वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कि अध्यापक के स्थानान्तरण होने से विद्यालय शिक्षक विहीन होने की दशा में प्रतिस्थानी आने के उपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक को कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।
8. प्रधानाध्यापक सम्बन्धित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय, जनपद ऊधम सिंह नगर को कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त कराने विषयक।
9. सम्बन्धित प्र०अ०/स०अ० को इस आशय से प्रेषित कि नवीन स्थानान्तरित विद्यालय में 10 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
10. कार्यालय गार्ड फाइल।


जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०),
ऊधमसिंह नगर



कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि० (ऊ० सि० नगर)

District Education Office, Primary Education (U.S. Nagar)

E-Mail: deobasicusnagar@yahoo.in

आदेश संख्या 214

/सेवायें-4 / वार्षिक स्थानान्तरण / 2026-27

दिनांक: 27 अगस्त, 2026

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13(12)2011 टी०सी०-1 दिनांक 07.07.2026, शासनादेश संख्या-400683/XXX(2)/2026/ई-26941 दिनांक 01.06.2026 एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून के पत्रांक: 1519-20 दिनांक 10.07.2026 के अनुपालन में तथा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के क्रम में निम्नांकित स०अ० (उच्च प्राथमिक) को अनुरोध के आधार पर कॉलम-5 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण की धारा-17(1)ख(एक)/धारा-17(1)ख(दो)/धारा-17(1)ख(तीन)/धारा-17(1)ख(चार) एवं धारा-17(1)ख(पाँच) के अन्तर्गत जनपद स्तरीय स्थानान्तरण समिति की सहमति उपरान्त कॉलम 6 में वर्णित धारा के अन्तर्गत, रिक्त पद के प्रति निम्नवत् अध्यापकों को स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	पदनाम एवं विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	धारा, जिस के अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया
1	2	3	4	5	6
01	श्री गोविन्द नारायण शर्मा	स०अ०-सामान्य	रा०उ०प्रा०वि० देवनगर, सितारगंज।	रा०उ०प्रा०वि० जवाहर नगर, रुद्रपुर।	धारा-17(1)ख(एक)
02	श्रीमती विनय प्रभा पाठक	स०अ०-भाषा	रा०क०उ०प्रा०वि० ट्रांजिटकैम्प, रुद्रपुर।	रा०उ०प्रा०वि० खेड़ा, रुद्रपुर।	धारा-17(1)ख(एक)
03	श्री जावेद अली	स०अ०-सामान्य	रा०उ०प्रा०वि० जैतपुर धौसी, काशीपुर।	रा०उ०प्रा०वि० रहमापुर, जसपुर।	धारा-17(1)ख(दो)
04	श्रीमती अन्जू	स०अ०-भाषा	रा०उ०प्रा०वि० पटौटी बाजपुर।	रा०उ०प्रा०वि० गुलड़िया, काशीपुर।	धारा-17(1)ख(चार)
05	श्रीमती बबिता चौहान	स०अ०-सामान्य	रा०उ०प्रा०वि० पटौटी, बाजपुर।	रा०उ०प्रा०वि० सुदामालाल, नगर क्षेत्र काशीपुर।	धारा-17(1)ख(पाँच)
06	श्रीमती सुधाबाला	स०अ०-भाषा	रा०उ०प्रा०वि० गणेशपुर, बाजपुर।	रा०उ०प्रा०वि० नरायणपुर, जसपुर।	धारा-17(1)ख(पाँच)
07	श्री अशोक कुमार	स०अ०-सामान्य	रा०उ०प्रा०वि० कनौरा, बाजपुर।	रा०उ०प्रा०वि० महुआडाबरा, जसपुर।	धारा-17(1)ख(पाँच)
08	श्री हरीश चन्द्र दनाई	स०अ०-विज्ञान	रा०उ०प्रा०वि० सैजना, रुद्रपुर	रा०उ०प्रा०वि० भदईपुरा, रुद्रपुर।	धारा-17(1)ख(पाँच)
09	श्रीमती रितु जोशी	स०अ०-भाषा	रा०उ०प्रा०वि० एस्कार्ट फॉर्म, काशीपुर।	रा०उ०प्रा०वि० गोपीपुरा, काशीपुर।	धारा-17(1)ख(पाँच)

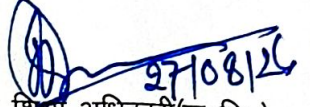
(हरेन्द्र कुमार मिश्रा)
27/08/26
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०),
ऊधमसिंह नगर।

पृ०सं० 10088-97 /सेवायें-4 / वार्षिक स्थानान्तरण / 2026-27 दिनांक: उक्तवत्।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
4. जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, ऊधम सिंह नगर।
5. मुख्य/सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद, ऊधम सिंह नगर।
6. वित्त अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, ऊधम सिंह नगर।
7. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कि अध्यापक के स्थानान्तरण होने से विद्यालय शिक्षक विहीन होने की दशा में प्रतिस्थानी आने के उपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक को कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।
8. प्रधानाध्यापक सम्बन्धित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय, जनपद ऊधम सिंह नगर को कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्त कराने विषयक।
9. सम्बन्धित प्र०अ०/स०अ० को इस आशय से प्रेषित कि नवीन स्थानान्तरित विद्यालय में 10 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
10. कार्यालय गार्ड फाइल।


जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०),
ऊधमसिंह नगर।